कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 67/2023

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
पूराराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार, निवासी बाटाडू हाल निवासी जुनेजा मेहरों की बस्ती, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. चिमाराम पुत्र गुणेशाराम 3. मिरगोदेवी पत्नी करनाराम जाति कुम्हार, निवासी बाटाडू तहसील बायतु, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.01.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 92/2 रकबा 12.9823 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है, जिसमें वादी का 1/2 खातेदारी हिस्सा है। वादी ग्रामीण बाहुल्य केवल साक्षर व्यक्ति है, जिसके जीविकापार्जन का एकमात्र साधन खेती करना है। वादी की खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम पूराराम पुत्र मूलाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम पूराराम पुत्र मूलाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में पूराराम पुत्र मालाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र मूलाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र मूलाराम किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा अन्यत्र भूमि के दस्तावेज पेश किये गये। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम पूराराम पुत्र मूलाराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र मूलाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, पैन कार्ड आदि में वादी का नाम पूराराम पुत्र मूलाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र मूलाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र मूलाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 92/2 रकबा 12.9823 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम पूराराम पुत्र मालाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र मूलाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव, सत्यमेव जयते, जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव